न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दूदू, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 04/2021
राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड फागी, जयपुर राजस्थान।

——प्रार्थी

बनाम

1. नवरत्न साहू पुत्र श्री रामस्वरूप साहू जाति तेली, निवासीः फागी, जिला जयपुर।
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत फागी, जयपुर राजस्थान।

——अप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 निरस्त किये जाने पट्टा दिनांक 31.10.2014 संकल्प सं. 02, दिनांक 20.08.2014

—: निर्णय :—

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर पदस्थापित है एवं प्रभारी अधिकारी भी है। प्रशासनिक अनुक्रम में संधारित किये गये रिकॉर्ड के आधार पर राज्य हित में विधिक कार्यवाही करने पट्टे निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत है। अप्रार्थी संख्या 1 ने स्टेट हाईवे 02, दौसा से कुचामण वाया लबाण–तूंगा–चाकसू–फागी–दूदू–सांभर किलोमीटर 93/800 पर ग्राम फागी, माधोराजपुरा तिराहा के पास सडक सीमा में अवैध पक्का निर्माण रातो रात कर अतिक्रमण कर लिया व वर्तमान में निर्माण जारी है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त अतिक्रमण सडक के मध्य बिन्दु से 34 फीट की दूरी पर ईट, बजरी, सीमेन्ट के द्वारा चिनाई कर अवैध निर्माण कर रहा है उक्त निर्माण 86 फीट x 12 फीट में है जिसमें मध्य में टीन शेड है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किया गया उक्त निर्माण नेशनल हाईव एण्ड स्टेट हाईवे एक्ट 1956 का 48 अंतर्गत धारा 8ए व 8बी के विपरीत है। सहायक अभियन्ता ने मौके पर जाकर अवैध निर्माण करने से अप्रार्थी संख्या 1 को रोकना चाहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने मना कर दिया और कहा कि मैं तो निर्माण करके रहूगा मेरे पास आवसीय जमीन का पट्टा है। मान्य न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करना उचित होगा कि अप्रार्थी संख्या 2 विकास अधिकारी को सार्वजनिक निर्माण की भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है उक्त अधिकार एल्ट्रावायरस की श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत फागी विकास अधिकारी फागी द्वारा जारी पट्टा कतई विश्वनीय नहीं है क्योकि जारी पट्टे पर ना तो भूखण्ड संख्या का उल्लेख है ना ही खसरे नंबर का उल्लेख है और ना ही पट्टे का क्रमांक है। यहां तक कि ग्राम पंचायत फागी द्वारा जारी पट्टे पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है प्रश्न यह उठता है कि क्या यह पट्टा वैध है। वैध पट्टे जैसा कोई प्रमाण ग्राम पंचायत फागी विकास अधिकारी द्वारा जारी होना दर्शित नहीं होता। इस प्रकार स्पष्ट है कि जारी पट्टा अवैध है एवं नियमों के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)

विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है जो निरस्त किया जावे। नेशनल हाईव के ईद–गिर्द आवासीय पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत फागी को नहीं है। नेशनल स्टेट हाईवे एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति सडक के मध्य से 75 फीट तक ना तो निर्माण कर सकता है, ना ही कब्जा कर सकता है और ना ही कोई संस्था, सोसायटी, निकाय, सरकारी–गैर सरकारी संगठन पट्टा जारी कर सकता है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने सडक सीमा के अंदर 34 फीट पर ही निर्माण कर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया जो हटाये जाने योग्य है। अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड चाकसू द्वारा अवगत कराने पर मौके पर सहायक अभियन्ता मय स्टॉफ पहुंचे मौके पर दिनांक 31.07.2020 को मौका पंचनामा तैयार किया गया, नजरी नक्शा तैयार कर अवैध निर्माण/अतिक्रमण दर्शाया गया तथा कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड फागी जयपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को विधिक नोटिस क्रमांक 68, दिनांक 31.07.2020 जन हित में अतिक्रमण हटाने व निर्माण कार्य रूकवाने बाबत जारी किया जिसका जवाब अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त नोटिस को विधिपूर्ण सम्मत ना मानते हुये गोलमाल तरीके से जवाब प्रेषित किया। अंत में अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी फागी द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.08.2014 की अनुपालना में 31.10.2014 को जारी पट्टा निरस्त किया जाये तथा मौके पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण को अप्रार्थी संख्या 1 के स्वयं के खर्चे से हटाने का आदेश पारित करते हुये अतिक्रमित जगह से अप्रार्थी संख्या 1 को बेदखल करते हुये कब्जेराज लेने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

2. वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी किये गये पट्टे पर न तो कोई खसरा नंबर का उल्लेख है न ही पट्टा क्रमांक एवं भूखण्ड संख्या का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा जारी किये गये पट्टे के दक्षिण दिशा की ओर 42 फीट रास्ता आमद रोड है उक्त आमद रोड स्टेट हाईवे संख्या 2 है, जो दौसा से कुचामन वाया लवाण–तूंगा–चाकसू–फागी–दूदू–सांभर किलोमीटर 93/800 है एवं विवादग्रस्त आराजीयात उक्त स्टेट हाईवे पर ग्राम फागी माधोराजपुरा तिराहा के पास स्थित है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार व नेशनल व स्टेट हाईवे एक्ट 1956 एवं इंडियन रोड कांग्रेस (73–1980) के बिन्दु संख्या 6 में प्लेन रोड में बिल्ड अप एरिया भी जहां है वहां न्यूनतम चौडाई 30 मीटर अर्थात रोड के मध्य बिन्दु से 15–15 मीटर होगी उक्त सीमा में न तो कोई व्यक्ति निर्माण कार्य कर सकता है, ना ही कोई संस्था, निकाय, सरकारी, गैर सरकारी संगठन एक्ट में दर्शायी गयी सडक के मध्य से दर्शायी गयी चौडाई तक पट्टा जारी कर सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी फागी द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.08.2014 की अनुपालना में 31.10.2014 को जारी पट्टा निरस्त किया जाये। वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में विकास अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि ग्राम पंचायत फागी द्वारा पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी ने विधिवत पट्टे हेतु आवेदन किया जिसकी विधिवत सुनवाई कर मौका रिपोर्ट पंचगण की प्राप्त होने एवं अप्रार्थी का काफी वर्षो से भूमि पर कब्जा होने से ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)

पंचायत द्वारा विधिवत पट्टा जारी किया गया है। खसरा नंबर 3450 की भूमि आबादी भूमि है जो खाली व पड़त होने से गलत रूप से उक्त गैर मुमकिन आबादी की भूमि में से कुछ हिस्से पर स्टेट हाईवे निकाली गई है। भूमि पर अप्रार्थी काबिज है एवं मय परिवार निवास कर रहा है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों पर आधारित निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज फरमाई जावे।

3. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी पट्टा आदेश दिनांक 31.10.2014 को निरस्त करवाये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 नवरत्न साहू के पक्ष में दिनांक 20.08.2014 की अनुपालना में जारी किया गया पट्टा दिनांक 31.10.2014 को देखने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी किये गये पट्टे पर ना तो कोई खसरा नंबर का उल्लेख है, ना ही पट्टा क्रमांक एवं ना ही भूखण्ड संख्या का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी किये गये पट्टे के दक्षिण दिशा की ओर 42 फीट रास्ता आमद रोड होना दर्शाया गया है। उक्त आमद रोड स्टेट हाईवे संख्या 2 है, जो दौसा से कुचामन वाया लवाण–तूंगा–चाकसू–फागी–दूदू–सांभर किलोमीटर 93/800 है एवं विवादग्रस्त आराजीयात उक्त स्टेट हाईवे पर ग्राम फागी माधोराजपुरा तिराहा के पास स्थित है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार नेशनल व स्टेट हाईवे एक्ट 1956 एवं इंडियन रोड कांग्रेस (73–1980) के बिन्दु संख्या 6 में हाईवे की प्लेन रोड में बिल्ड अप अर्थात आबादी एरिया जहां भी है वहां सडक की न्यूनतम चौडाई 30 मीटर अर्थात रोड के मध्य बिन्दु से 15–15 मीटर दोनो तरफ होगी। उक्त सीमा में कोई व्यक्ति निर्माण कार्य नहीं कर सकता है एवं कोई भी संस्था, निकाय, सरकारी, गैर सरकारी संगठन एक्ट में सडक के मध्य से प्रतिबंधित दर्शायी गयी चौडाई तक पट्टा जारी नहीं कर सकती है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमों के विपरीत होने से गलत रूप से जारी किया जाना प्रतीत होता है। विवादग्रस्त सम्पत्ति के संदर्भ में पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं उनके चाचा द्वारा एक सिविल दावा संख्या 220/89 सिविल न्यायाधीश सांभरलेक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति दोनो बतौर प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार थे जिसमें उक्त आराजीयात को प्रतिवादी पंचायत समिति द्वारा स्वयं की होना बताया था। उक्त वाद को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.05.1992 के माध्यम से वादी जो कि अप्रार्थी संख्या 1 नवरत्न के पिता है, का वाद खारिज फरमा दिया गया था जो कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से पूर्णतया प्रमाणित है। गैर निगरानीकर्ता/अप्रार्थी संख्या 1 नरवरत्न द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत जवाब दिनांक 31.03.2021 को देखने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में खसरा नंबर 3450 की भूमि के हिस्से में स्टेट हाईवे रोड मौजूद होने के तथ्य प्रमाणित किये है एवं साथ ही उक्त खसरा नंबर 3450 में ही गैर निगरानीकर्ता नवरत्न साहू द्वारा अपना भूखण्ड स्थित होना भी बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1/पट्टाधारी को पट्टा जारी करने के वर्ष 2014 से पूर्व ही उक्त स्टेट हाईवे रोड

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)

निकलकर मौके पर चालू है जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के दस्तावेजो से साबित है। इस प्रकार स्टेट हाईवे रोड अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी करने से पूर्व बनी हुई है जिससे उक्त स्टेट हाईवे पर इंडियन रोड कांग्रेस एवं नेशनल व स्टेट हाईवे एक्ट 1956 के अनुसार रोड के मध्य बिन्दु से 15–15 मीटर दूरी तक जारी किया गया पट्टा उक्त एक्ट के विपरीत होने से प्रारंभ से ही शून्य की श्रेणी में है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

4. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर विकास अधिकारी/पंचायत समिति को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा स्टेट हाईवे की रोड के मध्य स्टेट ऑथोरिटी के नियम/एक्ट के अनुरूप रोड के मध्य से 15–15 मीटर तक दर्शायी गयी चौडाई में जारी किये गये पट्टे की निरस्तीकरण की कार्यवाही करे एवं अवैध निर्माण की स्थिति में विधिवत रूप से हटवाकर अप्रार्थी संख्या 1 को रोड सीमा तक बेदखल किये जाने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

5. निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू, जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू (जयपुर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट दूदू (राजस्थान)